प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1107/2015

• महेतर यादव पिता दौलत राम यादव,आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी– ग्राम खोखसीपाली, थानाः सारंगढ़, जिला–रायगढ़ छत्तीसगढ़.

---अपीलार्थी

विरुद्ध

• छत्तीसगढ़ राज्य,द्वारा– थाना कोसिर, जिला– रायगढ़ छत्तीसगढ़.

---उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री शशि कुमार कुशवाहा, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : श्री सुभाष यादव, उप–शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव द्वारा बोर्ड पर आदेश

08/03/2019

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सारंगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 35/2010 में दिनांक 28.02.2012 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया गया है तथा निम्नानुसार दण्डित किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन	आजीवन कारावास एवं रुपए 2,000/– का अर्थदण्ड , व्यतिक्रम सशर्त ।

2. इस अपील में दोषसिद्धि और दण्डादेश का आधार बनने वाली अभियोजन की कहानी यह है कि अपीलार्थी और मृतक भाई थे। आरोप है कि दिनांक 19.07.2010 को एक ओर उसके और उसकी पत्नी अ.सा.–1 के मध्य कुछ कहासुनी हुई थी,एवं दूसरी ओर मृतक से । कहा गया है कि उस झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने पास में खड़ी बैलगाड़ी से लकड़ी का तख्ता उठाकर अपने भाई के सिर के पिछले भाग पर दे मारा, जिससे उसका भाई घसिया गिर गया। घसिया को अस्पताल ले जाया गया और चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्र.पी.–21 में शवगृह की सूचना पुलिस को दी गई, तत्पश्चात मृतक की

पत्नी अ.सा.–1 के कहने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–22 दर्ज की गई। मृतक को जब प्रारंभ में अस्पताल ले जाया गया था, तब वह जीवित था, उसकी परीक्षण डॉ. बी.पी.साई, अ.सा.–16 ने की, जिन्होंने चोट के संबंध में एमएलसी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सिर में एक चोट पाई गई थी। मृत्यु के उपरांत, डॉ. सुनील कुमार राजे, अ.सा.–18 ने शवपरीक्षण किया, जिन्होंने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.–20 तैयार की। चूंकि मृतक की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण हुई थी, अतः चिकित्सक के अभिमत में यह मानववध की प्रकृति का था। अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने हेतु विचारण चलाया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने मुख्यतः चक्षुदर्शी साक्षियों मृतक की पत्नी अ.सा.–1 तथा दोनों पड़ोसियों अ.सा.–3 और 8 एवं सिर पर चोट की प्रकृति का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी को हत्या के अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष किया तथा आजीवन कारावास से दण्डित किया, जिसके कारण वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क किया कि मृतक की पत्नी अ.सा.–1 के चक्षुदर्शी कथन और जिस प्रकार से अपीलार्थी और मृतक के मध्य घटनास्थल पर हाथापाई और झगड़ा हुआ, उससे मृतक के जमीन पर गिरने के कारण चोट लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता और अ.सा.–1 के साक्ष्य को बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने तर्क किया कि अ.सा.–1 के अनुसार अ.सा.–3 को घटनास्थल पर नहीं देखा गया था। उसने अ.सा.–8 की उपस्थिति के बारे में भी नहीं बताया है, इसलिए ये दोनों साक्षी मनगढ़ंत साक्षी हैं। इसके बाद तर्क किया गया कि विवाद की उत्पत्ति और घटना के परिणाम को देखते हुए जिसमें कथित वार अपीलार्थी द्वारा मृतक पर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या करने का कोई आशय था। यह केवल अचानक जनित लड़ाई थी, कि बिना किसी पूर्व योजना के, बैलगाड़ी पर बाहर पड़े लकड़ी के तख्ते को उठाया गया और वार करने के लिए उपयोग किया गया। अपीलार्थी ने प्रारंभ में मृतक पर वार करने और उसकी हत्या करने के आशय से कोई लकड़ी का तख्ता नहीं उठाया था। सिर पर एक ही चोट थी, अतः इन परिस्थितियों में, यद्यपि अभियोजन के साक्ष्य को वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए, अपीलार्थी का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग II की सीमा के बाहर नहीं जाएगा। अपीलार्थी ने 8 1/2(साढ़े आठ) वर्ष का दण्ड भुगत लिया है, अतः इन परिस्थितियों में दाण्डादेश को उसके द्वारा पूर्व भुगती गई अवधि तक कम किया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि यद्यपि, प्रारंभ में अपीलार्थी और मृतक के मध्य झगड़ा हुआ था, अपीलार्थी बाहर जाकर खड़ी बैलगाड़ी से लकड़ी का तख्ता खींच लाया और फिर मृतक के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे ज्ञात होता है कि उसकी मंशा मृत्यु का कारण बनने की थी। मृतक को अस्पताल ले जाया गया और उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका और अंततः उसकी मृत्यु हो गई, जिससे यह साबित होता है कि सामान्य प्रकृति में चोट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अतः, इन परिस्थितियों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी को सिद्धदोष किया जाना विधि के अनुसार है।

5. हमने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. अपीलार्थी द्वारा मृतक पर किया गया वार न केवल उसकी अपनी पत्नी अ.सा.–1 की चक्षुदर्शी साक्ष्य से साबित होता है, बल्कि दो स्वतंत्र साक्षियों अ.सा.–3 और अ.सा.–8, जो पड़ोसी और आस–पास के निवासी हैं, द्वारा दिए गए चक्षुदर्शी कथन से भी इसकी पुष्टि होती है।

7. मृतक की पत्नी दुर्गा बाई, अ.सा.–1 ने कथन किया है कि घटना की तारीख को उसके पति और मृतक के मध्य झगड़ा हुआ था। विवाद की उत्पत्ति, जैसा कि उसने कथन किया है, यह है कि अपीलार्थी और मृतक एक ही दरवाजे वाले दो अलग–अलग ब्लॉकों में रहते थे और दरवाजे के विशेष उपयोग के संबंध में झगड़ा हुआ करता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसका साक्ष्य यह है कि घटना की तारीख को अपीलार्थी आया था और वह गाली–गलौज कर रहा था, तब इस साक्षी ने कहा कि उसे पीटा जा सकता है, जिसके बाद मृतक ने भी घृणा से कहा कि यदि अपीलार्थी अपना हिसाब बराबर करना चाहता है, तो वह उसे भी पीट सकता है, ताकि उसे बेटा और पत्नी दोनों मिल सकें। तत्पश्चात, जैसा कि अ.सा.–1 ने कथन दिया, अपीलार्थी ने पास में खड़ी बैलगाड़ी से लकड़ी का तख्ता उठाया और मृतक के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे वह गिर गया। विवाद, प्रत्यक्ष कृत्य, मारपीट के बाद झगड़े की उत्पत्ति के संबंध में, यह साक्षी अपने साक्ष्य में अक्षुण्ण और दृढ़ रही है।

8. अन्य दो साक्षी, अ.सा.–3 और अ.सा.–8 स्वतंत्र साक्षी हैं और दोनों ने घटना के संबंध में कथन किया है कि दोनों भाइयों के मध्य झगड़ा चल रहा था और उस समय, जब मृतक ने अपीलार्थी को चुनौती दी कि उस पर वार करे, तो अपीलार्थी ने अचानक घटनास्थल के पास खड़ी बैलगाड़ी से एक लकड़ी का तख्ता उठाया और जोर से मारा जिससे मृतक गिर गया।

हम चिकित्सकीय साक्ष्य से पाते हैं कि मृतक के सिर में एक ही चोट लगी थी जो घातक साबित हुई, क्योंकि उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था।

9. यद्यपि, अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या यह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या 304 भाग II के अंतर्गत आएगा। इस प्रयोजनार्थ, जब हम अ.सा.–1, 3 और 8 के साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हैं, तो हम पाते हैं कि अपीलार्थी गाली–गलौज कर रहा था और फिर अ.सा.–1, मृतक की पत्नी और मृतक दोनों

बाहर आए और उन्होंने कहा कि अपीलार्थी अपनी संतुष्ट करने के लिए उस पर वार कर सकता है। उस समय तक, अपीलार्थी अपने हाथ में कोई आयुध नहीं रख रहा था। अभियोजन का यह प्रकरण भी नहीं है कि प्रारंभ से ही अपीलार्थी अपने हाथ में कोई आयुध लेकर चल रहा था। दोनों भाइयों के मध्य झगड़े और हाथापाई के बाद ही वार किया गया था। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा मृतक पर केवल एक ही वार किया गया था, जो दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु का कारण बना। मृतक की अस्पताल में चार दिन पश्चात मृत्यु हो गई।

10. अभियोजन के साक्ष्यों से साबित परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को विचार में रखते हुए, हम दृढ़ता से इस अभिमत पर हैं कि यह अपवाद 4 के अंतर्गत आने वाला प्रकरण है जिसमें दो भाइयों के मध्य अचानक झगड़े और लड़ाई के कारण वार बिना सोचे समझे किया गया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से अपने ही भाई की हत्या करने का आशय था परंतु उसने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया। अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध कारित करने हेतु उत्तरदायी होगा न कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन। तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी के दण्डादेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन परिवर्तित किया जाता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी ने अब तक 8 1/2 वर्ष का दण्ड भुगत लिया है, जो अपीलार्थी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता के अनुरूप प्रतीत होता है, अतः उसके द्वारा पूर्व ही भुगत ली गई अवधि तक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तदनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को अविलंब मुक्त किया जाए।

सही/- (मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव) न्यायाधीश	सही/- (रजनी दुबे) न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**